प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

सचिव,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक : 26 सितम्बर, 2016

विषय- शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उ0प्र0 विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड (पैक्सफेड) को राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-ई-8-1609/दस-06-89/2004, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-ई-8-836/दस-2009-89/2004, दिनांक 08 जुलाई, 2009 द्वारा उ0प्र0 विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड (पैक्सफेड) के स्थान पर उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ किया गया, के स्थान पर **"उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 आर0एन0एस0एस0)"** पढ़ा जाय ।

2. इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2006 एवं शासनादेश दिनांक 08 जुलाई, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3. शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2006 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त ।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या 3/2016-ई-8-2172(1)/दस-2016 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, लिमिटेड ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड ।
9. निदेशक, कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) ।
11. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग ।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।